

सामान्य जानकारी

आश्रय कार्रवाई के बारे में

आपने अपना आश्रय आवेदन प्रस्तुत कर दिया है एवं अब

प्रवेश क्रियाविधि

जिसमें आपसे अपनी यात्राओं व अन्य आवश्यक जानकारी के बारे में पूछा जायगा।

क्रियाविधि समीक्षा

1. आपने आस्ट्रिया में पुलिस, एक सुरक्षा सेवा या एक प्रारंभिक स्वागतकेन्द्र में आश्रय के लिए आवेदन दिया है।
- 2.). यदि आपने आश्रय के लिए आवेदन दिया है तो आपसे पुलिस आपकी पहचान और यात्रा मार्ग के बारे में सवाल करेगी।
अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आपका आवेदन पुलिस द्वारा आरंभिक साक्षात्कार कर लिए जाने और आव्रजन एवं आश्रय के लिए संघीय कार्यालय द्वारा निम्नलिखित में से कोई एक निर्णय ले लिए जाने के बाद दायर किया जाता है:
—आपको किसी क्षेत्रीय निदेशालय के आरंभिक स्वागत केंद्र (पुलिस द्वारा स्थानांतरण) के समक्ष पेश होने के लिए तलब किया जाता है।
— आपको कोई विशेष स्वागत केंद्र निर्दिष्ट किया जाता है।
स्वागत केंद्र में स्थानांतरण शुल्क मुक्त है। निःशुल्क परिवहन पहले से ही मूलभूत कल्याणकारी सहारे का हिस्सा है।
आपको निर्दिष्ट किए जाने वाला स्वागत केंद्र या क्षेत्र चुनना का आपका अधिकार नहीं है।
आश्रय की प्रक्रिया तभी शुरू होती है।

यदि आपको प्रारंभिक स्वागत केन्द्र में नहीं ले जाया गया है तब साक्षात्कार, शोध एवं जाँच प्रक्रियाओं के पूरा होने के पश्चात ही प्रस्तुत किए गए आश्रय आवेदन को वैध समझा जायगा। यदि आपकी उम्र 14 साल से कम है और आप नहीं जानते कि आपके माता—पिता कहाँ हैं, तो आवेदन तभी प्रस्तुत किया जाएगा जब इसकी पुष्टि आरंभिक स्वागत केंद्र में आपके लीगल काउंसिल की मौजूदगी में ही की जाएगी।

आप जो भी दस्तावेज अपने साथ लाए हों कृपया उन्हें पेश कर दें—आपके कपड़े एवं सामान की जाँच उसी लिंग के कर्मचारी द्वारा की जा सकती है जिस लिंग के आप हैं।

अपनी पहचान स्थापित करने हेतु यह जाँच करने हेतु कि क्या वास्तव में आस्ट्रिया आपके आश्रय आवेदन के लिए जवाबदेह है, आपकी उंगलियों के निशान लिए जाएंगे। जब तक इस कार्ड के जारी किए जाने से पहले आपके प्रोसीजर को पहले ही प्राधिकृत नहीं किया जाता है, तब तक तीन दिनों के भीतर आपको एक ग्रीन प्रोसीजर कार्ड मिलेगा, आपको असाइलजेसेट्ज (Asylgesetz) 2005 (AsylG 2005— आश्रय कानून 2005) के § 51 के अनुसार एक आवासीय पात्रता कार्ड (व्हाइट कार्ड) प्राप्त होगा।

3.) आपने आश्रय आवेदन प्रस्तुत कर दिया है इसलिए पुलिस द्वारा आपसे आपकी यात्रा व पहचान के बारे में सवाल किए जाएंगे।

4. प्रवेश क्रियाविधि के भाग के रूप में आपका आवेदन जब तक स्वीकृत नहीं किया जाता है- कम से कम एक बार आपका साक्षात्कार उस व्यक्ति द्वारा लिया जायगा जो आपके आश्रय आवेदन के बारे में निर्णय देगा। आप तीसरा विश्वसनीय पक्ष एवं एक प्रतिनिधि को अपने साथ सत्ताधीशों के साथ होने वाले साक्षात्कार के वक्त साथ में ले सकते हैं। आश्रय चाहने वाले यदि १८ वर्ष से कम उम्र के हैं तो उसने साक्षात्कार के समय एक कानूनी प्रतिनिधि भी उस वक्त अवश्य उपस्थित रहना चाहिए।

5. प्रवेश कार्रवाई निम्न प्रकार से समाप्त हो सकती है:

यदि अब तक कि कार्रवाई दर्शाती है कि आप संभवतः दूसरे देश (कोई अन्य सुरक्षित तीसरा देश) में अभियोजन के समक्ष संरक्षण प्राप्त कर सकें या वह अन्य देश आपके आवेदन कि जाँच के लिए जवाबदेह है इसलिए यह अभिप्राय दिया गया है कि आस्ट्रिया में आपके आश्रय आवेदन को रद्द कर दिया जाय या उसे अन्य कारणों से अस्वीकृत कर दिया जाय तब आपको पहले ही सूचित कर दिया जायगा और आपको कानूनी सलाहकार भी आवंटित किया जायगा। पत्र की भूमिका परामर्श देने की होगी और परवर्ती साक्षात्कार में वह उपस्थित रहेगा/रहेगी। शीघ्र- अतिशीघ्र आपको निर्णय बता दिया जायगा।

साक्षात्कार के पश्चात कार्रवाई पर निर्णय निम्न में से किसी प्रारूप में हो सकता है:

- ❖ आपको आश्रय क्रियाविधि के लिए अनुमति नहीं गई दी: आप निरस्त होने की अधिसूचना या स्वीकृति की अधिसूचना प्राप्त करेंगे।
- ❖ आप आश्रय प्रक्रिया में प्रवेश कर सकते हैं: आप एक निवास परमिट प्राप्त करेंगे और आपको एक

स्वागत केन्द्र दिया जा सकता है – संभवतः अन्य आस्ट्रिया संघीय राज्य में आपके आश्रय आवेदन से सम्बन्धित निर्णय संघीय कार्यालय की क्षेत्रीय शाखा में बाद के चरण में पहुँचा।

यह आशा की जाती है कि आपका आश्रय आवेदन निरस्त नहीं किया जायगा एवं आप सामान्यतः आश्रय क्रियाविधि में प्रवेश प्राप्त कर लेंगे अर्थात् आपके आवेदन की अंतर्वस्तु (पलायन के कारणों) पर निर्णय लिया जायगा। यह प्रवेश क्रियाविधि में अंतर्वस्तु पर किए जाने वाले निर्णय को नहीं रोकेगा। आपको जैसे ही एक बार आश्रय में प्रवेश की अनुमति मिलती है आप निवास परमिट प्राप्त करेंगे जो आपके आस्ट्रिया में ठहरने की वैधता के सबूत के रूप में उपयोगी रहेगा। आपको एक स्वागत केन्द्र आवरित किया जायगा संभवतः किसी अन्य संघीय राज्य में आपके आश्रय आवेदन से सम्बन्धित निर्णय संघीय कार्यालय की क्षेत्रीय शाखा में बाद के चरण में पहुँचा।

यदि आप अपनी **गृहभूमि** वापस जाना चाहते हैं तब आप गृह लौटने की सूचना प्रक्रिया के किसी भी समय व किसी भी चरण में प्राप्त कर सकते हैं। इस सूचना के प्राप्त होने पर कि आश्रय के लिए आपके आवेदन के रद्द होने की संभावना है या यदि संघीय कार्यालय वापसी का निर्णय जारी करता है, तो आपके लिए देश —प्रत्यावर्तन परामर्श सेवा का उपयोग करना अनिवार्य है।

और महत्वपूर्ण जानकारी:

- यदि आपने परवर्ती आवेदन (अर्थात् फिर से आवेदन उस आवेदन के पश्चात जिसके लिए कानूनी निर्णय पहले ही दिया जा चुका है) प्रस्तुत किया है तब विशेष प्रावधान लागू होंगे। इसके बारे में जानकारी देने के लिए एक अलग लिफ़ाफ़े है।
- आश्रय क्रियाविधि के दौरान प्रारंभिक स्वागत केन्द्र पर परामर्श देने के लिए स्वतन्त्र कानूनी परामर्शदाता है। यदि आप चाहे तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। यद्यपि आप स्वयं के कानूनी परामर्शकर्ता (वकील) को भी ले सकते हैं।
कानूनी परामर्शदाता वह है जो विदेशी नागरिकों एवं आश्रय के क्षेत्र में सुपरिचय रखता हो। ये सलाहकार आपका वस्तुतः स्वतंत्र रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं और आपको कानूनी मुद्दों पर सलाह देते हैं। साथ ही ये कानूनी सलाहकार गुप्तता के कर्तव्य के अधिन हैं।
- विभिन्न कारणों से, आपके निर्वासन की प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने हेतु आपको गिरफ्तारी में लिया जा

सकता है।

यदि आप स्वयं को नज़र बंद पाते हैं तब संघीय कार्यालय का कोई कर्मचारी आपसे संपर्क करेगा और आपसे नजरबंदी में या प्रारंभिक स्वागतकेन्द्र में साक्षात्कार होगा। आप बंदीकेन्द्र में कानूनी परामर्श भी प्राप्त करेंगे।

- यदि आप १८ वर्ष से कम की उम्र के हैं और आप नहीं जानते हैं कि इस समय आपके माता पिता कहां रह रहे हैं तो कृपया यह हमें शीघ्र बताएं। आपका प्रतिनिधित्व तब एक कानूनी सलाहकार द्वारा पूरी प्रक्रिया में होगा जब तक कि स्वागतकेन्द्र आवंटित नहीं किया जाता है। विशेषरूप से कानूनी सलाहकार सभी साक्षात्कारों में उपस्थित रहेगा।
- यदि आपको चिकित्सीय या मानसिक समस्याएं हैं तो इसकी जानकारी तुरन्त ही डाक्टर तथा कानूनी सलाहकार को दें।
- आपकी गृहभूमि में आपको अभियोजन का भय यदि आपके यौनिक स्वयं-निर्णय (उदाहरणार्थ यौनिक उत्पीड़न) के कारण है तो कृपया हमें शीघ्र बताएं। तब आपका साक्षात्कार किसी स्टाफ सदस्य द्वारा लिया जायगा और वह आप के समान लिंग का ही होगा जब तक कि आप उसके विपरीत के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं।
- यदि आप अपनी गृहभूमि सुरक्षा व गरीमापूर्ण देश से वापस जाना चाहते हैं तब आप गृह लौटने की सलाह का उपयोग प्रक्रिया में किसी भी समय और किसी भी चरण पर कर सकते हैं। गृह लौटने की सलाह में आस्ट्रिया व आपके मूल देश में उपलब्ध संभावनाओं का स्पष्टीकरण भी सम्मिलित है। यदि आप प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तब आप वित्तीय मदद भी प्राप्त कर सकते हैं।
वे सँगठन जो गृह लौटने के लिए मदद देते हैं उनके बारे में अधिक जानकारी के लिए कानूनी सलाहकार (प्रारंभिक स्वागत केन्द्र) या हमारे किसी स्टाफ सदस्य से बात करें।
- शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उपयोग

आप शरणार्थियों के संयुक्तराष्ट्र उच्चायोग (UNHCR) से कभी भी संपर्क कर सकते हैं: पोस्टबॉक्स 550, 1400 वियेना टेलि.क्र: 01/26060/5306 (कानून विभाग); ई मेल: ausvi@unhcr.org; इंटरनेट: www.unhcr.at.

लेकिन कृपया ध्यान दें, कि UNHCR सलाह देने के लिए ऑस्ट्रिया नहीं आया है..

➤ **संपर्क संभावनाए**

www.rechtsanwaelte.atTuchlauben 12, A-1010 Vienna, Tel: +43 (1) 535 12 75

- यदि अब भी आपके कुछ सवाल हों तो उसके लिए हमारे स्टाफ़ को मदद करने में प्रसन्नता होगी।